

01.11.2021

128

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालू सिंह

बनाम

सदनलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 202/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कालू सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>सज्जन सिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>बराड़ा, चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बराड़ा</u></p> <p><u>प.ह. के.प.डी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>166</u></p> <p style="text-align: right;"><u>1.86</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>1.86</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बराड़ा, चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>166</u></p> <p style="text-align: right;"><u>1.86</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>1.86</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एन 5702 510</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(वीनू देवल)</b>  <b>सहायक कमिश्नर एव</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b> </p>